



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 518) पटना, वृहस्पतिवार, 21 मई 2026

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
20 मई 2026

सं० सं०का-01/वि०मं०(महानुभाव)-08-03/2021/536—बिहार विधान परिषद् के अधिसूचना ज्ञापांक-1219(1)/वि०प०, दिनांक-15.05.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने बिहार विधान परिषद् में निम्नांकित सूची में अंकित महानुभावों को दिनांक-15.05.2026 के प्रभाव से विधान परिषद् में उप नेता/मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, सत्तारूढ़ दल के रूप में मनोनीत किया है। उक्त मनोनयन को माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् द्वारा दिनांक-15.05.2026 के प्रभाव से मान्यता प्रदान की गयी है। जिसे बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या- 1218(1)/वि०प०, दिनांक-15.05.2026 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

क्रम सं०	माननीय सदस्यों के नाम	पदनाम	प्राप्त सुविधा	प्रभाव की तिथि
1.	श्री ललन कुमार सर्राफ, सं०वि०प०	उप नेता	मंत्री	15.05.2026
2.	प्र० (डॉ०) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सं०वि०प०	उप नेता	मंत्री	15.05.2026
3.	श्री संजय कुमार सिंह, सं०वि०प०	मुख्य सचेतक	मंत्री	15.05.2026
4.	श्री जनक राम, सं०वि०प०	उप मुख्य सचेतक	राज्य मंत्री	15.05.2026
5.	श्री नीरज कुमार, सं०वि०प०	सचेतक	राज्य मंत्री	15.05.2026
6.	श्रीमती रीना देवी, सं०वि०प०	सचेतक	राज्य मंत्री	15.05.2026

2. बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) के नियम-3 के तहत उप नेता/मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक/सचेतक, सत्तारूढ़ दल को उनके नाम के सामने अंकित मंत्री/राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें दिनांक-15.05.2026 के प्रभाव से देय होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 518-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>